राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः प.1(2)(1)नपा–पंचा/सां.आ./रानिआ/14/ 3982 दिनांक : 15/9/14

अधिसूचना

सां. आ. 95/2014 राज्य में नगरपालिकाओं का निर्वाचन कराया जाना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–य क के अंतर्गत नगरपालिका संस्थाओं के निर्वाचन के संचालन पर नियंत्रण, अधीक्षण व निर्देशन की शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं।

राजस्थान नगरपाकि अधिनियम, 1959 की धारा 32–क की उप–धारा (1) के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तारीख से निर्वाचन की समाप्ति तक कोई अभ्यर्थी या उसका अधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रयोजन से लगाये गये प्रतिबंधों के उल्लंघन में किसी वाहन या लाऊडस्पीकर का उपयोग करता है या कट आउटों, होर्डिंग्स, पोस्टरों और बैनरों को प्रदर्शित करता है तो, वह शास्ति जो रूपये 2,000/– तक हो सकेगी, से दण्डनीय होगा।

अतः नगरपालिकाओं में सदस्यों के लिए निर्वाचनों के शुद्ध एवं सुचारू संचालन के लिए उक्त धारा 32–क और संविधान के अनुच्छेद 243–य क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तारीख से निर्वाचन की समाप्ति तक की अवधि के दौरान अभ्यर्थी या उसके अधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा वाहनों या लाऊडस्पीकरों के उपयोग या कट आउटों, होर्डिंग्स, पोस्टरों और बैनरों के प्रदर्शन व इनसे संबंधित अन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए आयोग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 7923 दिनांक 25.07.2000 (सां. आ. सं. 42/2000) एवं अधिसूचना क्रमांक 2800 दिनांक 09.07.2014 (सां. आ. सं. 84/2014) को अतिक्रमित करते हुए निम्न आदेश जारी करता हैः–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भः– (i) इस आदेश का नाम राजस्थान नगरपालिका (वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग तथा पोस्टरों, बैनरों आदि के प्रदर्शन पर प्रतिबंध) आदेश, 2014 है,

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर है तथा यह नगरपालिकाओं में सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में लागू होगा, और

(iii) यह तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

2.परिभाषाऐंः– (1) आदेश में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(i) ''निर्वाचन'' से नगरपालिका के किसी वार्ड के सदस्यों के लिए ''साधारण निर्वाचन'' और ''उप निर्वाचन'' अभिप्रेत है;

(ii) ''प्ररूप क'' से इस आदेश से संलग्न ''प्ररूप क'' अभिप्रेत है;

(iii) ''पैरा'' से इस आदेश का ''पैरा'' अभिप्रेत है;

(iv) ''उप पैरा'' से उस पैरा का ''उप पैरा'' अभिप्रेत है जिसमें यह शब्द आता है; और

(v) ''नियम'' से राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम अभिप्रेत है;

(2) जो शब्द और पद इस आदेश में प्रयुक्त किये गये हैं किन्तु परिभाषित नहीं किये गये हैं और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 अथवा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम और नियम में क्रमशः बताये गये हैं।

(3) **कतिपय प्रकार के वाहनों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध होना–** अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से निर्वाचन समाप्ति तक किसी भी दिन निम्नांकित वाहनों का उपयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगाः–

(i) बस (ii) ट्रक (iii) मिनी बस और (iv) मेटाडोर

15/09/2014

(4) **कतिपय प्रकार के वाहनों के उपयोग को नियंत्रित करना–** उक्त वर्णित वाहनों से भिन्न अन्य किसी वाहन का उपयोग नहीं किया जायेगा;

परन्तु यह कि–

(i) नगर निगम के किसी सदस्य के चुनाव में अधिकतम दो वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा;

(ii) नगर परिषद् या नगरपालिका मण्डल के किसी सदस्य चुनाव में अधिकतम एक वाहन का उपयोग किया जा सकेगा;

(iii) उक्त परन्तुक (i) या (ii) के अंतर्गत वाहन का उपयोग काने से पूर्व अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा वाहन संख्या एवं उसका प्रकार तथा वाहन चालक के नाम व पते की लिखित सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को कम से कम 24 घंटे पूर्व देनी होगी;

(iv) किसी भी निर्वाचन में उक्त परन्तुक (i) अथवा (ii), जैसी भी स्थिति हो, में बताये गये वाहनों सहित तीन से अधिक मोटर वाईकिलों या स्कूटरों की रैली या काफिला नहीं निकाला जायेगा, और मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के 48 घण्टे पूर्व की अवधि में ऐसी रैली या काफिला निकाला जाना निषिद्ध रहेगा;

(v) उपरोक्त परन्तुक (i) एवं (ii) के अन्तर्गत मतदान दिवस को वाहन के उपयोग के लिए लिखित अनुमति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से लेनी होगी, जिसके लिए परमिट रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा और यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 133 सपठित धारा 123(5) के उपबंधों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी अनुमति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दी जायेगी।

स्पष्टीकरणः– इस पैरा के प्रयोजन के लिए वाहन से अभिप्रेत जीप, कार, तिपहिया टैम्पों, तांगा तथा ऊंटगाड़ी है।

(5) **लाऊड स्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंधः–** लाऊड स्पीकरों का उपयोग निषिद्ध रहेगा; परन्तु प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक क्षेत्राधिकार रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट या किसी कानून में अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित अनुमति के उपरान्त, मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पूर्व की 48 घंटे की अवधि के सिवाय, उपयोग किया जा सकेगा;

परन्तु यह और कि ऐसी अनुमति प्राप्त करेन के लिए अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता यदि कोई हो, को लिखित रूप में अवगत कराना होगा कि वह किस प्रकार और किसी स्थान पर उसका उपयोग करेगा।

(6) **कट–आऊटों, होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन का निषेध :–** किसी भी निर्वाचन में सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के नेता की तस्वीर अथवा चुनाव चिन्ह अथवा नारे दर्शाते हुये कट आऊट, होर्डिंग्स, पोस्टर या बैनर प्रदर्शित नहीं किये जायेंगेः–

परन्तु यह कि–

(i) नगर निगम के किसी सदस्य के चुनाव में अधिकतम 80000 रूपये, नगर परिषद् के किसी सदस्य के चुनाव में अधिकतम 60000 रूपये, तथा नगरपालिका मंडल के किसी सदस्य के चुनाव में अधिकतम 40000 रूपये के पोस्टर एवं बैनर मुद्रित या तैयार कराये जा सकेंगे और उन्हे प्रदर्शित किया जा सकेगा जिसका लेखा–जोखा संलग्न प्ररूप–क में परिणामों की घोषणा के तीन दिन के भीतर जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा और उक्त अधिकारी प्ररूप–क में लेखा–जोखा प्राप्त होने पर उसे अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तीन दिन तक प्रदर्शित करेगा। इसके आगामी तीन दिवस में कोई भी इच्छुक व्यक्ति उक्त प्ररूप 'क' के संबंध में आपत्ति या कोई तथ्य प्रस्तुत कर सकेगा;

(ii) पोस्टरों का मुद्रण कराते समय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127–क के उपबंधों और उसके आदेशों की पालना करनी होगी;

15/09/2014